न्यायालय– प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरायपाली जिला महासमुन्द (छ0ग0) द्वारा जमानत प्रकरण क. 579/2022 (छत्तरसाय यादव विरूद्ध छ0ग0 राज्य) में दिनांक 29.10.2022 को पारित आदेश की प्रतिलिपि :–

छत्तरसाय यादव पिता गोकुल यादव उम्र 56 वर्ष
निवासी ग्राम पर्रापाट थाना बसना
जिला–महासमुन्द(छ.ग.).....**आवेदक**

–:: विरूद्ध ::–

छ0ग0 राज्य द्वारा
थाना बसना,
अपराध क्रमांक 576/2022 ..... **अनावेदक**

29.10.2022 आवेदक की ओर से बी0एस0 सलूजा अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक/राज्य द्वारा श्री आर.एल. पटेल अति. लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. पर तर्क हेतु नियत है।

थाना बसना से अपराध क्रं. 576/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक को अपना **पति** होना बताते हुए **कस्तुरी यादव** का शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित है कि आवेदक की ओर से धारा 439 दं0प्र0सं0 का यह **प्रथम** जमानत आवेदन पेश है तथा उक्त आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को थाना बसना द्वारा उक्त अपराध के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 27.10.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना के समक्ष पेश किया गया था। जहां उसकी ओर से दिनांक 27.10.2022 को प्रस्तुत जमानत आवेदन उक्त दिनांक को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 27.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक निर्दोष है, उसे शंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसके पास से किसी प्रकार की मदिरा की जप्ती विधिवत नहीं की गयी है। आवेदक अपने परिवार का अकेला सदस्य है एवं परिवार का भरण पोषण करता है, आवेदक के लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार वालों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा एवं भरण पोषण के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी। आवेदक पर अधिरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है तथा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आवेदक ग्राम पर्रापाट थाना बसना का स्थायी निवासी है, इसलिये उसके कहीं फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की संभावना है। आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है, जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदन पर विचार किया गया।

केस डायरी के अनुसार दिनांक 27.10.2022 को थाना बसना द्वारा कार्यवाही के दौरान ग्राम पर्रापाट स्थित आवेदक के घर के सामने उसके कब्जे से **10 लीटर** हाथभट्ठी महुआ शराब जप्त किया गया था।

थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्ध थाना बसना में अपराध क्रमांक 436/2019 अंतर्गत धारा 354, 509 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 342/2021 अंतर्गत धारा 34 (2) एवं अपराध क्रमांक 530/2021 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध अवैध शराब के संबंध में एक ही थाना क्षेत्र में यह तृतीय अपराध पंजीबद्ध किया जाना दर्शित है। इस प्रकार आवेदक आबकारी अधिनियम के तहत अपराध कारित करने का आदतन अपराधी होना प्रतीत होता है। इसके अलावा थाना बसना से प्राप्त जमानत विरोध प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक को जमानत मिलने पर गवाहों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है, फरार हो सकता है तथा अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है की संभावना व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त समस्त परिस्थितियों के आधार **आवेदक छत्तरसाय यादव** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 द.प्र.सं. निरस्त** किया जाता है।

केस डायरी, आदेश की प्रति के साथ वापस की जावे। आदेश एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को रिमाण्ड प्रपत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

01– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02– थाना बसना, जिला–महासमुन्द को सूचनार्थ।

सही/–

(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)